

10 <sup>03</sup>/<sub>2024</sub>

पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप0। बावजूद सम्यक तामिल अप्रार्थी अनुपरिथत रहने के कारण अप्रार्थी के विरुद्ध पूर्व में एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी जा चुकी है। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि प्रार्थी का सही नाम मुन्ना पुत्र मूला है। परन्तु राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय सहवन से गलत नाम मोहन पुत्र मूला दर्ज कर दिया गया है, जिसे राजस्व रिकार्ड में दुरस्त किया जाना उचित है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में मतदाता पहचान पत्र, बैंक पासबुक एवं पेंशन पीपीओ की प्रतियां प्रस्तुत की हैं जिनमें प्रार्थी का सही नाम मुन्ना पुत्र मूला है। इस सम्बन्ध में बतौर साक्ष्य भागीरथ पुत्र मूला जाति माली निवासी ढाणी झाडावाली तन कुरबड़ा तहसील नीमकाथाना एवं सांवल पुत्र मूला जाति माली निवासी ढाणी झाडावाली तन कुरबड़ा तहसील नीमकाथाना के नोटेरी से तस्दीकशुदा शपथ पत्र प्रस्तुत किये जिससे भी प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ताकीद होती हैं।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे ज्ञाहिर है कि विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम मोहन पुत्र मूला अंकित है। प्रार्थी का कथन कि प्रार्थी का सही नाम मुन्ना पुत्र मूला है की पुष्टि मतदाता पहचान पत्र, बैंक पासबुक एवं पेंशन पीपीओ की प्रति एवं बतौर साक्ष्य प्रस्तुत तस्दीकशुदा शपथ पत्रों से भी होती है। इस प्रकार प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड, दस्तावेजात एवं साक्ष्य शपथ पत्रों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

(बृजेश कुमार)

(बृजेश कुमार)

उपखण्ड न्यायाधीश (नीमकाथाना)

### आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि खाता संख्या 167 राजस्व ग्राम कुरबड़ा पटवार हल्का आगवाड़ी तह. नीमकाथाना के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी नाम मोहन पुत्र मूला के स्थान पर मुन्ना पुत्र मूला दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरस्त किया जावे। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)

(बृजेश कुमार) कारी

उपखण्ड अधिकारी